ऑन लाईन न. RCMS 2023/111

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 06/2023

राज्य सरकार जरिये श्री संदीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम निवासी चक 21 बीबी, जैतसर रोड़ पदमपुर, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री 7 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर, मय 85.02 किलोग्राम एलपीजी गैस व 01 मोटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी श्री नरेश कुमार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 12.07.2024

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैंस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने की जांच अभियान दौरान प्रवर्तन स्टाफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर दिनांक 19.04.2023 को फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। जांच के दौरान फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम मौके पर उपस्थित मिले तथा स्वयं को उक्त गैराज का मालिक बताया। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम की उपस्थिति में फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जांच में पाया कि गैराज में घरेलू गैंस सिलेण्डरों द्वारा अवैध रूप से वाहनों में रिफिलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में गैंस रिफिलिंग में प्रयोग में आने वाली एक मोटर तथा 07 घरेलू गैंस सिलेण्डर पाये गये। 7 गैंस सिलेण्डर भारत गैंस कम्पनी के पाये गये। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम ने घरेलू गैंस सिलेण्डर द्वारा वाहनों में गैंस रिफिलिंग करना बताया। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम द्वारा उक्त 07 घरेलू गैंस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम के पास नहीं मिला। फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पाये गये 07 घरेलू गैंस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं रिद्दि सिद्दि गैंस एजेन्सी पदमपुर के के संचालक मनीष कुमार बिश्नाई पुत्र श्री सतपाल बिश्नाई उम्र 32 वर्ष , निवासी 26 बी बी तहसील पदमपुर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा से तैयार किया गया।

उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर व्यवसायिक का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 1(a)(b)(c).4(1)(a) तथा LPG (REGULATION OF USE IN MOTOR VEHICLE) ORDER 2001 क्लॉज 3(3) स्पष्ट उल्लघंन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 07 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 85.20 किलोग्राम गैस व 01 मोटर को राजसात करने का आदेश फरमावे।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील पर पुलिस थाना पदमपुर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम को देकर स्वयं से तामील करवाई गई व तारीख पेशी पर हाजिर आने के लिए पाबन्द किया।। मूल नोटिस बाद तामील सेवा में पेश है। अप्रार्थी स्वयं द्वारा तामील होने के बावजूद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 19.04.2023 को फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। जांच के दौरान फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम मौके पर उपस्थित मिले तथा स्वयं को उक्त गैराज का मालिक बताया। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम की उपस्थिति में फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जांच की गई। जांच में पाया कि गैराज में घरेलू गैस सिलेण्डरों द्वारा अवैध रूप से वाहनों में रिफिलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में गैस रिफिलिंग में प्रयोग में आने वाली एक मोटर तथा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। 7 गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा वाहनों में गैस रिफिलिंग करना बताया। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम द्वारा उक्त 07 घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम के पास नहीं मिला। फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पाये गये 07 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं रिद्धि सिद्धि गैस एजेन्सी पदमपुर के के संचालक मनीष कुमार बिश्नाई पुत्र श्री सतपाल बिश्नाई उम्र 32 वर्ष , निवासी 26 बी बी तहसील पदमपुर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा से तैयार किया गया।

श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर व्यवसायिक का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 1(a)(b)(c).4(1)(a) तथा LPG (REGULATION OF USE IN MOTOR VEHICLE) ORDER 2001 क्लॉज 3(3)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 07 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 85.20 किलोग्राम गैस व 01 मोटर को राजसात करने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने की जांच अभियान दौरान प्रवर्तन स्टाफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर दिनांक 19.04.2023 को फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। जांच के दौरान फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम मौके पर उपस्थित मिले तथा स्वयं को उक्त गैराज का मालिक बताया। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम की उपस्थिति में फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जांच की गई। जांच में पाया कि गैराज में घरेलू गैस सिलेण्डरों द्वारा अवैध रूप से वाहनों में रिफिलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में गैस रिफिलिंग में प्रयोग में आने वाली एक मोटर तथा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। 7 गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा वाहनों में गैस रिफिलिंग करना बताया। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम द्वारा उक्त 07 घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम के पास नहीं मिला। फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पाये गये 07 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं रिद्वि सिद्वि गैस एजेन्सी पदमपुर के के संचालक मनीष कुमार बिश्नाई पुत्र श्री सतपाल बिश्नाई उम्र 32 वर्ष , निवासी 26 बी बी तहसील पदमपुर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा से तैयार किया गया।

इस प्रकार श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था। श्री इन्द्राज कुमार पुत्र श्री नंदराम फर्म इन्द्राज मारूति गैराज, जैतसर रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर व्यवसायिक का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 1(a)(b)(c).4(1)(a) तथा LPG (REGULATION OF USE IN MOTOR VEHICLE) ORDER 2001 क्लॉज 3(3) स्पष्ट उल्लघंन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 07 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 85.20 किलोग्राम गैस व 01 मोटर को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)